

विश्वभारती

अधिसूचना

नए अकादमिक सत्र का स्वागतम।

विश्वभारती के मुख्य हितधारकों, छात्रों के हितलाभ हेतु आइए हम सब साथ मिलकर काम करें। विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों एवं गैर-शैक्षिक कर्मचारियों से अनुरोध है कि 7वां सीपीसी के शर्त एवं नियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करें नहीं तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

सं. आरईजी/अधि./156/66/23-24

(कार्यकारी)

दिनांक: 06/07/2023

हस्ता/-

कुलसचिव

विश्वभारती

सेवा में,

भवनों/विभागों के निदेशक एवं प्रिंसिपल

अकादमिक एवं प्रशासनिक विभाग/केंद्र/अनुभाग आदि के प्रधान

प्रतिलिपि :

1. संयुक्त कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
2. कुलसचिव के निजी सहायक
3. विश्वविद्यालय वेब मास्टर - विश्वविद्यालय वेब साइट पर अपलोड हेतु।
4. हिंदी अधिकारी - हिंदी में अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।